

OFFICE OF PRINCIPAL

GOVERNMENT PATALESHWAR COLLEGE MASTURI DISTRICT- BILASPUR (C.G) -495551

Phone No - 07752-273135

Email id —govtcollegemasturi@gmail.com

6.2.3 Implementation of e-governance in areas of operation (4)

1. Administration, 2. Finance and Accounts, 3. Student Admission and Support, 4. Examination

Areas of e governance	Year of implementation
Administration	2017-18
Finance and Accounts	2016-17
Student Admission and Support	2017-18
Examination	2019-20

Goyt. Pataleshwar College Masturi

Distr-Bilaspur C.G.

E-GOVERNACE IN THE ARE ADMINISTRATION-2017-2018



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

फोन नं. - 07752-273135

ई मेल — govtcollegemasturi@gmail.com मस्तूरी,दिनांक — 15.10.2020

सूचना

रनातकोत्तर कक्षाएं एम.ए:/एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। महाविद्यालय में सत्र् 2019–20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् व उर्त्तीण छात्र/छात्राएं महाविद्यालय के वेबसाइड से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ दिनांक 21.10.2020 तक अपना आवेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। महत्वपूर्ण निर्देश:—

1. उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु केवल इस महाविद्यालय में सत्र 2019—20 में एम.ए./एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् व उर्त्तीण प्राप्त छात्र/छात्राएं ही पात्र होंगें।

2. छात्र/छात्राएं आवेदन पत्र के साथ उर्त्तीण पिछले सभी कक्षाओं की अंकूसची की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एण्टी रैगिंग, छात्र बीमा प्रिमियम की प्रति तथा महाविद्यालय के एसबीआई बैंक मस्तूरी शाखा खाते में ऑनलाईन जमा की गई फीस की पावती या रसीद की प्रति महाविद्यालय में डॉक/कुरियर के माध्यम से या निम्न कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है :—

एम.ए. / एम.कॉम. :- श्री धरमलाल सूर्यवंशी, श्रीमती सुकन्या श्रीवास, श्री अनिल कुमार उपाध्याय के पास जमा करें।

3. प्रवेश शुल्क :- एम.ए./एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर के कक्षाओं से संबंधित प्रवेश शुल्क का विवरण :- संलग्न है।

4. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रवेश प्रभारियों से संपर्क करें।

एम.ए. हिन्दी – डॉ. श्रीमती राजेश चतुर्वेदी

एम.ए. समाजशास्त्र – डॉ. श्रीमती दुर्गो बाजपेयी


एम.ए. राजनीति शास्त्र – डॉ. श्रीमती सुजाता सेमुअल

एम.ए. भूगोल – डॉ. के.आर. मतावले

एम.ए. अर्थशास्त्र – प्रो. बी.आर. खुटें

एम. कॉम. तृतीय सेमेस्टर – डॉ. डी.के. सिंह

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी आस्तकहारी प्राप्तिया आस्तकहारी प्राप्तिया विक्रालय विक्रालय








onlinesbi.sbi/sbicollect/payment/lis









बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन गांधी बौक, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001

\$-मेल : bilaspur university2012@gmail.com, वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in क्रमांक्ट्र पु ७७ रथा. / विष्य / 2017

बिलासपुर, दिनांक 28 / 04 / 2017

प्रति.

प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय. बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः- से<mark>तु परियोजना अंतर्गत सत्र 2017-18 हेतु ऑनलाईन प्रवेश विषयक।</mark> संदर्भः- पत्र क्रमांक 342/मुकाअ/चिप्स/सेतु/2017 रायपुर, दिनांक 08/03/2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया चिप्स द्वारा निर्मित ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश देना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आपके कार्यालय में चिप्स से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

498 पृ.क्र. /स्था. /चिप्स / 2017 बिलासपुर विश्वविद्यालयः विलासपुर बिलासपुर, दिनांक28/04/2017

- प्रतिलिपि:-1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
- 2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
- अधुवत, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
- 6. कार्यालय प्रति।

Total -



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़ फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

ई-मेलः ceochips@nic.in

क्रमांक 342/मुकाअ / चिप्स / सेतु / 2017 प्रति

रायपुर, दिनांक ०४/03/2017

कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

कुलसचिव दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

कुलसचिव बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.)

र्कुलसचिव बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

कुलसचिव सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर (छ.ग.)

The Mindre

विषय-सेतु परियोजना अंतर्गत सत्र 2017-18 हेतु समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में प्रवेश विषयक।

--00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में सन्न 2017—18 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन किया जाना है, विदित हो कि विगत सन्न 2016—17 के दौरान राज्य के 215 शासकीय महाविद्यालयों तथा 05 विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन के माध्यम से संपादित की गयी थी, जिसमें लगभग डेढ लाख अभ्यर्थी लाभान्वित हुए थे।

चिप्स द्वारा प्रति छात्र आवेदन हेतु शुल्क के रूप में रू. 50/- प्रति अभ्यर्थी प्रतिवर्ष निर्धारित हैं। कृपया इस संबंध में अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में इस सन्न के दौरान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश देना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आपके कार्यालय में चिप्स से संबंधित

अधिकारी / कर्मचारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

एलेक्स पॉल मेनन मुख्य कार्यपालन अधिकारी

चिप्स

<i>'</i>	
क्रमांक प्र्यू मुकाअ / चिप्स / सेतु / 2017 प्रतिलिपि :	रायपुर, दिनांक 😢 / 03 / 2017
1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. श	ासन की ओर सादर सूबनार्थ।
2. कुलपति	
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन	की ओर सृचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग	ा. शासन की ओर सूचनार्थ।

एलेक्स पॉल मेनन मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

गांधी चौक के पास, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन 07752-220007, 220031, 220032, 220033, 220037, 220014, फैक्स.07752-220031, 260294 ई-मेल :bilaspur.university2012@gmail.com Website : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 18 / परीक्षा / 2017

बिलासपुर, दिनांक 20/01/2017

प्रति,

विभागाध्यक्ष / प्रभारी विभागाध्यक्ष (समस्त), विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- SBI-Collect के माध्यम से फीस भुगतान विषयक।

विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी प्रकार के शुल्क भुगतान की प्रक्रिया कैशलेस करने की दिशा में आवश्यक पहल करते हुए निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के छात्र—छात्राओं से सभी प्रकार का शुल्क SBI-Collect के माध्यम से लिये जायें। इस हेतु सभी विभागध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित समस्त प्रकार के शुल्क का मदवार विवरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। इसके साथ ही भविष्य में छात्र—छात्राओं को फीस भुगतान करने की सूचना जारी होती है तो पत्र में फीस का मदवार विवरण तथा फीस SBI-Collect के माध्यम से जमा करने की जानकारी छात्रों की दी जावे। किसी भी स्थित में छात्र—छात्राओं से नगद फीस जमा नहीं किया जावेगा।

SBI-Collect के माध्यम से Online Net Banking, Credit Card, Debit Card या Offline Bank Challan के द्वारा शुल्क विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा किया जा सकता है। SBI-Collect के माध्यम से फीस जमा करने का दिशानिर्देश संलग्न है।

आदेशानुसार



पृ. क्रमांक / / **9** / परीक्षा / 2017


बिलासपुर, दिनांक 20/01/2017

- 01. क्लपति के निज सहायक को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
- 02. कुलसचिव के निज सहायक को कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
- 03. परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- 04. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/प्रशासन) बिलासपुर वि.वि.बिलासपुर को सूचनार्थ।
- ०५. कार्यालयीन अभिलेख हेतु।



SBI-Collect द्वारा फीस भुगतान करने की प्रक्रिया


चरण 01 - सर्व प्रथम इंटरनेट पर बिलासपुर विश्वविद्यालय . बिलासपुर की वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in का पेज खोलें। उसके पश्चात Quick Link में से Online Fees for UTD को Select करें।



चरण 02 - इस पर क्लिक करने के बाद स्वतः की यह लिंक SBI-Collect पर Redirect हो जायेगा। इसके पश्चात यह पेज Open होगा।

← → C STATE BANE OF INDIA DIG M		iapley.htm	9 1
O State Bank Group Haran		- Charles Company of the Company of	ill control of the second
Tow are here: State Bard Colors > State Bard Color	LHO .		i te
» State Bank Collect	Slate Bank Collect		35-Jan-2017 (92 tol PM 197)
Rughes Numitions Farm Paymest History	Sainst State and Type of Corporate / Institution State of Corporate/Antifusion * Type of Corporate/Antifusion *	-3 on 1 / P 1 /	V
	P Markey finds an replied with an ex- bitor Bod Cabac to a unique service for accounts and the Bod.	ota () yeyini suku la shankud kaliabina, lariyina, dhallisa	policy and state confessional productions are sentered than

चरण 03 - SBI-Collect में State of Corporate/Institue में Chhattisgarh को select करें एवं Type of Corporate/Institue में Educational Institution को select करें। फिर Go बटन को क्लिंक करें। इसके बाद स्वतः ही यह पेज Open होगा।



चरण 04 - इस पेज में Educational Institution Name में Bilaspur Vishwavidyalaya , Bilaspur को Select करें। फिर Submit बटन दबायें। इसके पश्चात यह पेज Open होगा।

The content which of the first street at the	M		4) (
	Annual Control of the Control of the Sanda		ROWER AND THE S
(Lots Bank Collect) Bule Bare MOPS Pay	EP10		
You are here: State Bank Collect . State Bank Collect			28-Jen-2017 (02-55 PM (51)
State Bank Cellect Bayloi Revallance Form Payment Hobby		YWAVIOYALAYA BILASPUR Avidyalaya bilaspur old high court road, , bilaspu	1490001
	Provide details of payment Salect Payment Category* > Mandulary finisk one maked with pn a > The payment standard decument if an > Date specified/3 any should be in the		
El Coppight OnlineSU	and the same of the same of	before the section with the section of the	Phrocy Statement Charles of Toma of the

चरण 05 - इस पेज में Select Payment Catagory में UTD Fees को Select करें। UTD Fees को Select करते ही वेबपेज सीधे Redirect होगा तथा यह पेज Open होगा।

State Sank Coded State Sark MOPS	W EFFO		
are have: State Bank Collect > State Bank Co	And in case of Street, or other Persons and Persons an		20-Jan 2017 (02:54 PM)
Stein Bank Colfect Report Remitance Form Peyment History		LAYA BILASPUR A BILASPUR OLD HIGH COURT ROAD, , &LASPUR-416001	
	Provide details of payment Soled Payment Category' DEPARTMENT NAME ' COURSE NAME ' MAME OF STUDENT' DOB ' MOBILE NO' FATHER NAME ' ROLL NO' SEMESTER' LABORATORIES FEE'S' MIGRATION FEE'S' AMANIANT CAUTION MONEY LIMBARY SEE' ANAL SANATED FIND' PHYSICAL BOULATION FEE' LIMBART CAUTION MONEY LIMBARY SEE' ANAL MARCAINE FEE' LABORATORIES CAUTION MONEY LEGE TO TRANSFEE CERTIFICATE LABORATORIES CAUTION MONEY LEGE TO TRANSFEE CERTIFICATE LEGE TO TRANSFEE CERTIF	SHORT DEPARTMENT NAME— SHORT DEPARTMENT NAME— SHORT SEMESTER— SHORT SEM	⋾

चरण 06 – इस पेज में समस्त विवरण भली-भांति भरें तथा Submit बटन दबायें तथा निर्धारित फीस Online Net Banking, Credit Card, Debit Card या Offline Bank Challan के माध्यम से भुगतान कर आनलाईन भुगतान की प्राप्त पावती (आफलाईन चालान बैंक में जमा करने पर बैंक में जमा चालान पावती) साक्ष्य हेतु जमा करें।



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

website; www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक /3314/ परीक्षा-गोपनीय / 2020

दिनांक 15/6/2020

—:: अधिसूचना ::— (ऑनलाईन जारी किये जाने वाले प्रवजन प्रमाण-पत्र हेतु)

अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के पोर्टल से प्रवजन प्रमाण पत्र हेतु आंनलाईन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि आनलाईन आवेदन करते समय पोर्टल में रागी वाछित जानकारी पूर्ण रूप से भरने के साथ ही स्पष्ट उद्देश्य अर्थात् उसे संस्था का नाम अंकित किया जाना आवश्यक होगा, जिस संस्था में छात्र/छात्रा प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि आनलाईन माईग्रेशन जारी होने के पश्चात् छात्र/छात्रा उस संस्था में प्रवेश नहीं लेना वाहता अथवा नहीं ले पाता है तो रू. 10/- का स्टॉम्प में स्पष्ट उल्लेख करते हुए कि छात्र/छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय से जारी आनलाईन प्रवजन प्रमाण पत्र में अंकित संस्था में किसी कारणवश प्रवेश नहीं लिया गया है। तथा अन्य जगह (संस्था के नाम सहित) प्रवेश हेतु पुनः प्रवजन प्रमाण पत्र प्रापित हेतु रू. 100/- का संशोधन शुल्क के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में उपस्थित होकर किये गये आवेदन में सुधार करा सकते हैं।

आदेशानुसार
परीक्षा नियत्रक
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)
विनाक 15, 6, 202 |

पृ. क्रमांक / 3317 परीक्षा गोपनीय / 2020 प्रतिलिपि:--

1. माननीय कुलपति महोदय, अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, विलारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कुलसचिव, महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. वित्ताधिकारी / सहायक कुलसचिव (गोपनीय / वित्त / अकादगी / भंडार), अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, विलासपुर, को सूचनार्थ।

4. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, विलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया महाविद्यालय के सूचना पटल पर छात्र/छात्राओं के अवलोकन हेतु चस्पा करावें एवं स्वित करें।

5. कक्ष प्रभारी/संकाय प्रभारी (गोपनीय/परीक्षा), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सूचनार्थ।

6. संपादक / संवाददाता, दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेपित कि छात्रहित में इसे विज्ञापत के रूप में अपने समाचार पत्र में नि शुक्क प्रकाशित करने का कर करें।

7. विश्वविद्यालय सूचना पटल/वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अधीक्षक (परीक्षा)

Department of Computer Science and Application



Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur (C.G.)

Date: 10-04-2020

All Faculty Members and Students,

Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur (C.G.)

Please find the following lists of E-resources and ICT tools for Teaching-Learning.

List of E-Resources


S. No	Name of E-Resource	URL	
1	SWAYAM	http://swayam.org/	
2	NPTEL	http://nptel.ac.in/	
3	UGC MOOC	http://ugemoocs.inflibnet.ac.in/ugemoocs/moocs_cou	
		rses.php/	
4	Edx	http://edx.org/	
5	Saylor	http://saylor.org/	
6	Coursera	http://coursera.org/	
7	Harvard	http://online-learning.harvard.org/	
8	Academic earth	http://academicearth.org/	
9	Class central	http://classcentral.com/	
10	National Digital library	http://ndl.iitkgp.ac.in	
11	National Knowledge	http://nkn.gov.in/en/	
	Network		
12	A-View	http://aview.in/	
13	Virtual lab	http://vlab.co.in/	
14	FOSSEE	http://fosce.in/	
15	E-PG pathshala	http://epgp.inflibnet.ac.in	
16	E content courseware for UG	http://cec.nic.in/cec/	
17	MIT course ware	https://ocw.mit.edu/index.htm	
18	You tube	https://www.youtube.com/user/cecedusat/	
19	Vidwan	https://vidwan.inflibnet.ac.in/	
20	Shodh ganga	https://shodhganga.inflibnet.ac.in/	
21	Spoken tutorial	http://spoken-tutorial.org/	
22	Swayamprabha	http://swayamprabha.gov.in/	
23	e-Yantra	http://e-yantra.org/	
24	E-Kalpa	http://icar.org.in/content/e-kalpa	

books?
rect Open access
Open access Thesis and http://ess.inflibnet.ac.in dissertation http://oatd.org/
Journal e-Sodh sindhu

List of ICT Tools for Teaching-Learning (Open Source and Commercial)

Š	Name of	Purpose
Z	ftware	
-	Google class room	For sharing learning resources and assignment and Evaluation
2	Google Drive	Storage of data in remote computer known storage
ω	Google form	For creating form with different types of questions conducting quiz
4	Google site	For creating your own web site for communication with students and sharing resources
2	Google hangout	For Video calling and online meeting, virtual class sharing/Desktop screen
6	Power point	For preparing presentation and developing e-content
7	Active presenter	For devolving e-content with video and screen casting
8	Google Meet	For Virtual class and meeting
9	Microsoft team	For Virtual class and meeting with screen other common options
10	Skype	Online presentation, online class with options
11	Zoom	Online meeting and Virtual class room with screen sharing and other options for teaching

Live streaming and video mixing software	Xsplit	23
Screen casting software	Techsmith (Formerly Zing)	22
Online screen recorder	Apowersoft	21
Screen recording and screen casting for developing e-	Cam studio	20
Video recording, e-content development and video sharing	Screencast-o-matic	19
Video recording e-content development and live streaming	OBS studio	18
Virtual class room solution for online teaching	Horizon wimba	17
Virtual class room solution for online teaching	E-lecta live	16
Virtual class room solution for online teaching	Blackboard collaborate	15
Uploading and accessing video tutorials	You tube	14
Video conferencing and Online meeting/Virtual class with desktop sharing option	GoToMeeting	13
Video conferencing and online meeting/ Virtual class	Cisco Webex	12



(Head, Department of Computer Science and Application)
Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.गे.)

गांधी चौक के पास, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन 07752.220007ए 220031ए 220032ए 220037ए 220014 फैस्स. 07752.220031ए 260294 ई-मेल :इपसंचनतण्नदपअगतेपजल2012/हजंपराण्यवय "महेपजग रू णुहपसंचनतन्दपअमतेपजलण्यण्य

क्रमांक / 141/अ.छा.क. / 2016

बिलासपुर, दिनांक

.12.2016

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की नवम् बैठक दिनांक 29.07.2016 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में, आधुनिक तकनीक के साथ स्मार्ट बोर्ड की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम एक स्मार्ट क्लास रूम र्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन/सहयोग विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं।

अतः कार्यपरिषद् के निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें।

आदेशानुसार

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पृ. क्रमांक / 142/अ.छा.क. / 2016 प्रतिलिपि:-- बिलासपुर, दिनांक

.12.2016

05/01/2017

01. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

02. कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलसविच महोदया के सादर सूचनार्थ।


03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

04. कार्यालयीन प्रतिलिपि।

अधिष्ठाता

छात्र न्कल्याण

E-GOVERNACE IN THE ARE FINANCE & ACCOUNT-2016-2017



C-Payroll Government Departments (C.G.)

e-Payroll Version(PAYROLL GEN CPS) Financial Year 2021 22 For Jan-2022 DDOCode 0738028

nsaction Entry Repor	Emp Id	Emp Code	Name	Bill Unit	Stop Salary	PF Typ
	Select 35	07380280033	ANIL KUMAR UPADHYAY	3	N	CPS
P	Select 29	03380040001	BHUPENDRA KUMAR SARVE	3	N	CPS
v employee entry in eF	Select 1	07380280021	BHUWAN SINGH RAJ	3	N	CPS
	Select 10	07380280026	BRIJESH KUMAR KORI	3	N	CPS
0738028	Select 32	04380100008	DHANESHWAR KUMAR SAHU	3	N	CPS
<u> </u>	Select 33	08380030017	KANTI ANCHAL	3	N	CPS
Emplo	Select 6	07380280023	KAWSHILYA BAI KHAIRWAR	3	N	CPS
111	Select 7	07380280024	KIRAN THAKUR	3	N	CPS
	Select 9	07380280025	NAVIN KUMAR RELWANI	3	N	CPS
	Select 11	07380280030	PRADEEP KUMAR KHUNTE	3	N	CPS
	Select 34	07380050016	PRATIBHA SINGH PARIHAR	3	N	CPS
No.	Select 13	07380280028	ROSHAN LAL SHER	3	N	CPS
	Select 14	07380280032	SUKANYA SHRIVAS .	3	N	CPS
	Select 27	04380100001	SUNIL KUMAR YADAV	3	N	CPS
	Select 36	07200441370	ANAND KUMAR KASHYAP	516	γ .	CPS

CS

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 245/एल 2018-55-00002/वि/नि/चार प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 23 मई, 2018

शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.

विषय:-राज्य के पेंशनरों हेतु 'ऑन लाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम' - "आमार - आपकी सेवाओं का" लागू करने के संबंध में।

राज्य शासन के कर्मचारियों को निम्न नियमों के अंतर्गत पेंशन, उपदान एवं पेंशन सारांशीकरण की पात्रता है :--

- 1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- 2. छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (पॅशन) नियम, 1979
- पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार पेंशन नियम, 1965
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996
- (2) वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पेंशन स्वीकृति का प्रस्ताव सहपत्रों सहित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाता है। संयुक्त संचालक द्वारा परीक्षण उपरांत प्रकरण सही पाये जाने पर पेंशन भुगतान आदेश (PPO), उपदान भुगतान आदेश (GPO) तथा सारांशीकरण भुगतान आदेश (CPO) जारी किया जाता है, तदोपरांत कोषालय अधिकारी पेंशनर के सत्यापन उपरांत प्रथम भुगतान करते हुए आगामी अवधि के भुगतान हेतु पेंशनर द्वारा आवेदित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को प्रकरण स्थानांतरित करता है।
- (3) उक्त प्रकिया में होने वाले विलम्ब एवं विभिन्न स्तर पर होने वाली कागजी कार्यवाहियों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नियमों के अंतर्गत 31 मई, 2018 से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान 'आनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम' —

			2/- अधीनस्थ विभागाध्यक्ष
	2	77—1नसुप्रताकता आधुरम्य सार्वे । रशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी । रस्ताव अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से ऑनलाईन ग्राप्त कर प्रमाण—पत्र अधीनस्थ विभागाध्यक्ष, संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रिवित करना ।	से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर।
3	मॉडयल- न मांग न	1/- वित्त विभाग की पेशन मैनेजमेंट वेबसाईट www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar पर संवालनालय कोष, लेखा एवं पेशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना। 2/-नियुक्तिकर्ता अधिकारी विभागाच्यक्ष होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त कर प्रमाण-पत्र अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित सभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना।	1/- निरक 2/- अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर।
		3/—नियुक्तिकर्ता शासन होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना जारी संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से ऑनलाईन प्राप्त कर संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करना ।	भीतर।
	4 संभागीय संयुक्त संचालक मॉंड्यूल-स्वीकृतकर्ता अधिकारी के प्रस्ताव को ऑडिट ऑफिसर के रूप में परीक्षण करना एवं e- ppo/e-gpo/e- cpo जारी करना।	1/- वित्त विभाग की पेंशन मैनेजमेंट वेबसाईट www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar पर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना। 2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन भरी	2, 3 एवं 4 हेतु / — सर्विस बुक एवं अभिप्रमाणित पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर। डिजीटल हस्ताक्षर युक्त e- ppo/e-gpo/e-cpo का नवीन प्रारूप प्रपत्र परिशिष्ट 01, 02 एवं 03 संलग्न है।

			2/- अधीनस्थ विभागाध्यक्ष
	2	77—1नसुप्रताकता आधुरम्य सार्वे । रशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी । रस्ताव अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से ऑनलाईन ग्राप्त कर प्रमाण—पत्र अधीनस्थ विभागाध्यक्ष, संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रिवित करना ।	से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर।
3	मॉडयल- न मांग न	1/- वित्त विभाग की पेशन मैनेजमेंट वेबसाईट www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar पर संवालनालय कोष, लेखा एवं पेशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना। 2/-नियुक्तिकर्ता अधिकारी विभागाच्यक्ष होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त कर प्रमाण-पत्र अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित सभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना।	1/- निरक 2/- अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर।
		3/—नियुक्तिकर्ता शासन होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना जारी संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से ऑनलाईन प्राप्त कर संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करना ।	भीतर।
	4 संभागीय संयुक्त संचालक मॉंड्यूल-स्वीकृतकर्ता अधिकारी के प्रस्ताव को ऑडिट ऑफिसर के रूप में परीक्षण करना एवं e- ppo/e-gpo/e- cpo जारी करना।	1/- वित्त विभाग की पेंशन मैनेजमेंट वेबसाईट www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar पर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना। 2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन भरी	2, 3 एवं 4 हेतु / — सर्विस बुक एवं अभिप्रमाणित पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर। डिजीटल हस्ताक्षर युक्त e- ppo/e-gpo/e-cpo का नवीन प्रारूप प्रपत्र परिशिष्ट 01, 02 एवं 03 संलग्न है।

		माध्यम से कव्हरिंग लेटर स्वतः प्रेषित	
		करना। महालेखाकार कार्यालय एवं पेंशनर्स	1
		को कव्हरिंग लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट के	1
		माध्यम से प्रेषित करना।	}
5	कोषालय अधिकारी	1/-संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी	
5	मॉड्यूल— पेंशनर को प्रथम पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान एवं सारांशिकरण राशि जारी करना।	e-ppo/e-gpo/e-cpo को ऑनलाईन प्राप्त कर आवश्यक अभिलेख हेतु कार्यालय प्रमुख को ऑनलाईन निवेदन करना। 2/-कार्यालय प्रमुख से अपेक्षित अभिलेख ऑनलाईन प्राप्त होते ही ई-देयक तैयार कर भुगतान की कार्यवाही किया जाना। 3/-पेंशनर का कोषालय में स्वंय के सत्यापन हेतु उपस्थिति की अनिवार्यता	2/ e-gpo/e-cpo का
		समाप्त किया जाना। 4/-भुगतान के पश्चात स्वतः पंशनर द्वारा चयन किये गये बैंक में आगामी पंशन भुगतान हेतु नोडल बैंक को डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-पी०पी०ओ०, एक्स.एम.एल. फाईल एवं वांछित अमिलेख ऑनलाईन	4/- निरंक
		प्रेषित करना।	
6	बैंक मॉड्यूल पेंशनर को आगामी पेंशन का भुगतान	1/-बैंक द्वारा ई-पी०पी०ओ० एवं एक्स.एम. एल. फाईल ऑन लाईन प्राप्त होने पर भुगतान।	1/- आगामी देय तिथि
		2/-बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को भुगतान	2/- भुगतान तिथि के 01
	करना	करनें के पश्चात् एम.आई.एस साईबर ट्रेंजरी	कार्य दिवस पश्चात
		से शेयर करना।	•
7	डीटीएपी मॉड्यूल-	1/-विभिन्न माड्यूल के मध्य नियन्त्रण	1/- निरंक
	समन्वय एवं नियंत्रण	तथा समन्वय स्थापित करना है।	2 05000
		2/-शासन द्वारा समय-समय पर जारी	
		पेंशन संबंधित दिशा-निर्देशों के पालन को	2/- तत्समय
	1	सुनिश्चित करना।	
		3/-पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली	3/- 15 कार्य दिवस
		अंतर्गत शिकायत निवारण।	-/
		4/-पेंशन डाटा बेस	4/- निरंक
		5/-वेबसाईट का परिचालन	5/ निरंक

(5) उक्त प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप कोषालय संहिता एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान की योजना में समुचित संशोधन अलग से किया जायेगा। उक्त संशोधन होने तक उपरोक्त नियम एवं योजना पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम की सीमा तक शिथिल माने जायेंगे।

- (6) पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-4/3, 86/R-V/IV दिनांक 21.4.86 द्वारा लागू पेंशन की विभागीयकरण योजना की कंडिका-16 के प्रावधानानुसार प्रत्येक पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ में एम्बॉसिंग सील लगाने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा संमागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त ई-पीपीओ, ई-जीपीओ तथा ई-सीपीओ संयुक्त संचालक के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे।
- (7) राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में राज्य के समस्त वर्तमान पेंशन भोगियों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जायेगा जिसके अंतर्गत वर्तमान पेंशनरों के अब तक किये गये भुगतान एवं भविष्य में किये जाने वाले भुगतानों एवं संशोधनों का अनुश्रवण हो सके।
- (8) पेंशन भुगतान की उक्त व्यवस्था कंडिका-1 में उल्लेखित पेंशन नियमों के अतिरिक्त किसी अन्य निर्देशों/विधियों के अंतर्गत स्वीकृत पेंशन हेतु लागू नहीं होगी।
- (9) पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने एवं इसके संचालन हेतु संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> (अमिताभ जैन) प्रमुख सचिव

पृ. क्र. 246/एल 2018—55—00002./वि/नि/चार प्रतिलिपि, नया रायपुर, दिनांक 23 मई, 2018

- 1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
- 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
- 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
- रिजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
- 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
- 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
- 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
- 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
- 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
- 11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
- 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपूर
- 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
- 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
- 15. समस्त संमागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
- 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
- 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ
- 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु 19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

> (अतुल कुलश्रेष्ठ) शोध अधिकारी

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन संभाग,(छत्तीसगढ़)

पेंशन अदायगी आदेश संवितरक/पेंशनर का भाग

पी.पी.ओ. क्र.

छत्तीसगढ़ शासन को विकलनीय मुख्य शीर्ष -2071 पेंशन

उप-शीर्ष (मतदेय/भारित)

मूल पेंशन -साराशीकृत पेरान 🔔

1.सेवा में प्रवेश की तिथि	
2.कुल सेवा	वर्षमाह दिन
- 'One (short mark)	

अनुसूची

शेषदेय पेंशन -				3.अंतिम/औसत उप	लाम्य		
पॅशनर का नाम तथा सेवानिवृति/निधन की तिथि	पेंशन का वर्ग तथा प्रारंभ होने की तिथि	कद तथा वैयक्तिक पहचान के निशान	जन्म तिथि	धर्म और राष्ट्रीयता	पेंशनर का पूरा पता	पेंशन की मासिक राशि	वेतनमान जिसके अनुसार मेंहगाई राहत देय
1	2	3	4	5	6	7	8
		ràin)					

प्रति,

जिला कोषालय अधिकारीं,

कृपया ऊपर दी गई अनुसूधी के अनुसार श्री/श्रीमती/कु, सेवानिवृत्ति(पद) कार्यालय को आगामी सूचना तक और हर मांड के समाप्त होने पर मूल पेशन के रूप में चाशि ₹ (शब्दों में ₹) में. से सांचाशीकृत पेशन चाशि ₹ (शब्दों में) को घटाकर शेष पेशन चाशि ₹ (शब्दों में ₹) तथा चहत के अनुसार मूल पेशन ₹ पर दिनांक से प्रति माह छनकी मृत्यु अथवा 15 वर्ष पूर्ण होने तक देय होगा। तत्परचात नियमानुसार मूल पेशन राशि ₹ (शब्दों में ₹) मुगतान योग्य होगा

- मत्यु सहसेवानिवृति उपादान प्राधिकार क्र. वास्ते र (शब्दों में रू.)
- भुगतान के समय पूर्व में मुगतान की गई प्रत्याशित पॅशन तथा पॅशन से बसूली योग्य राशियों का समायोजन करें तथा कार्यालय प्रमुख से आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त करें।

		विभाजन योग्य		
	वर्धित दर	सामान्य दर	उपदान	संराशिकरण
एकीकृत म.प्र.		· ·		
म.प्र.				-
छ.ग.				
योग				

संभागीय संयुक्त संघालक कोष लेखा एवं पेंशन संभाग (छत्तीसगद)

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन संभाग,(छत्तीसगढ़)

जावक क्रमांक/-/पी-ए-//E	दिनांक विभाजन योग्य एकीकृत मध्यप्रदेश रूपये		
प्रति . जिला कोषालय अधिकारी			
	छत्तीसगढ़ रूपये		
	ग्रोग		

G.P.O.No. UNDER RS.

विषय : मृत्यु सह सेवानिवृत्ति छपादान प्राधिकार-पत्र।

भी/भीमति/कु- सेवानिवृत्ति(पद) कार्यालय

के हित में संस्वीकृत मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान सशि₹ (शम्दों में ₹)

उपादान ग्राही भी/श्रीमति/कु-

/.

अधवा नाबातिमों के नीथे उल्लेखित कानूनी अभिभावक को नीधे पैरा-2 में उल्लेखित वसुतियाँ काटकर अदा करें।

- 2 ऊपर प्राधिकृत उपादान अदायगी में से भीचे की राशि का समायोजन करें।
 - । प्रत्याशित पेशन / उपादान की राशि का समायोजन करें।
 - श लोक निर्माण विभाग / विभाग से शासकीय आवास का किराया बकाया न होने एवं आवास रिक्त होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
 - आ अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र राशि ₹ दिनांकतक भुगतान दशांते हुए प्राप्त करे।
 - । अधिक भुगतान की राशि र (शब्दों मेर)की वसूली की जाये।

आदाता को इस आदेश के जारी होने की सूचना दे देनी चाहिए।

- 4. उपादान प्राही/कानूनी अनिनावक के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अपूर्व और अंगुलियों के छाप की पर्वियां और उनके फोटो की प्रमाणित प्रति इसके साथ मेजी जा रही है कार्यालय के पत्र क्रमांक विभाग दिनांक के साथ भेजे गए पेंशन के साथ सलग्न कर आपको भेजी जा चुकी है।
- s. उपादान की राशि मांग संख्या 06 —शीर्ष— 2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ (01) सिविस (104) उपादान को विकलित हो जायें।
- ६. जयदान आदेश में दर्शायी गयी वसूलियां, उनके स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभाग या वित्त विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष में धालान द्वारा जमा (क्रेडिट) की जावें।
- अदायगी के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उपादानग्राही अब भी इसका अधिकारी है। यदि नहीं तो इसे वापस करें।
- ह. उत्पादान के मुगतान होने तक यह प्राधिकार पत्र संवितरण अधिकारी के वैयक्तिक अभिरक्षण में रखा जाना चाहिये। यह प्राधिकार पत्र जारी होने की व्यर्थिस सं कंवल 12 माह तक के लिए प्रमावी रहेगा। यदि इस अवधि में कोई अदायगी न की गई होतो इसे निरस्त (निष्क्रमावी) माना जाये और इस कार्यालय को लीटा दिया जाना चाहिये।
- स्मरण रहे कि संवितरण अधिकारी,आदाता,जिसका पता मीधे दिया गया है की पहचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- पेशन अदायगी आदेश क्रमांक/सं-सं-/ विभाग/ कृपया इस पत्र के प्राप्ति की पावती भेजें ।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष,लेखा एवं पेशन

संभाग,(छत्तीसगढ़)

जावक क्रमांक/-/पी-ए-//E प्रतिलिप:-

दिनांक

1-श्री/श्रीमति/कु- पेंशन/उपादान भोगी का पता

....... (उपादान प्राही/कानूनी अभिभावक) को सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधेषित। टीप- जब तक प्राही द्वारा किसी ऐसे प्राधिकृत एजेंट के जरिये अदायगी करने की इच्छा व्यक्त न की जाये,जिसने सरकार को अधिकार अदायगी के लिए हातिपूर्ति करने का वधन दे रखा हो।

> संभागीय संयुक्त संचालक कोष,लेखा एवं पेंशन संभाग,

1

विषय : - पेंशन सारांशीकरण प्राधिकार - पत्र ।

1. इस कार्यालाय के पेंशन अदायगी आदेश क्रमांक / सं.सं. / विमाग/E के धारक श्री /श्रीमती / खु सेवानिवृत्त (पद) कार्यालय को स्वीकृत पेंशन की साशि हैं (शब्दों में हैं) के साशिकरण मूल्य (कम्युटेड वेल्यू) हैं (शब्दों में हैं) के मुगतान की स्वीकृति कायालय प्रमुख / वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है। एतएव , आपसे अनुशेष हैं कि आवश्यक सत्यापन के पश्चात चक्त शाशि के भुगतान की व्यवस्था करें , तथा पेंशन का सारांशीकरण मूल्य लेखाशीर्ष – 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाम –(02) पेंशनों का रूपांतरित मूल्य के अंतर्गत , छत्तीसगढ़ शासन को विकतित करें ।

2. सारांशीकरण के परिणाम स्वरूप पेंशन भोगी द्वारा पेंशन के सारांशीकृत मूल्य की प्राप्ति की तारीख अथवा इस प्राधिकार के जारी करने की तिथि से जिल दिन तीन माह पूर्ण होते हैं जो भी पहले हो . तंक देय होगी ! तत्परचात तियमानुसार पुनः पूरी पेंशन चारी ₹ (शब्दों में ₹) त्रियारित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर उनकी मृत्यु तक देय होगी ! कृपया इस प्राधिकार पत्र का क्रमांक एवं दिनांक ऑकत करते हुए मूल पेंशन की राशि में उपरोक्तानुसार संशोधन करें तथा इस आश्रय की टीप पेंशन मुगतान आदेश के दोनों भागों पर देते हुए अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करें !

3. इस पत्र के क्रमांक एवं दिनांक की प्राधिकार के रूप में सन्दर्भ देते हुए सांशंशीकृत चांश के भुगतान के लिए अलग से बिल तैयार किया जावे तथा भुगतान किया हुआ व्हाउचार महालेखाकार . छत्तीसगढ़ ,रायपुर को अलग अनुसूची के साथ पंजीकृत ढांक से भेजा जावे । इस व्हाउचार को भेजने सन्वन्धी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावे ।

4.इस पत्र की पावती भेजे तथा यह प्रमाणित करें कि पैशन आदेश की दोनों मागों पर सांरांशीकरण के परिणामस्वरूप पॅशन की राशि में हुए परिवर्तनों को लागू कर दिया गया है ।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन संभाग, (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक / / /E , दिनांक प्रतिलिफिः—

1.शी/श्रीमति/कु, पॅशन भोगी का पता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संभागीय संयुक्त संघातक कोष.लेखा एवं पेरान संभाग. (छ.ग.)

वित्त निर्देश 35/2006

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

कमांक 358/331/वित्त/नियम/चार/2006 प्रति,

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर, 06

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष समस्त जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ ।

विषय:-ई-चालान प्रकिया प्रारंभ करने हेतु कोषालय संहिता भाग-1 एवं 2 में संशोधन ।

राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा में धन का भुगतान बैंक में नगर या चैक, बैंक पे आर्डर, बैंक केडिट चालान और राष्ट्रीय बचत ∕प्लान सर्टिफिकेट के द्वारा किया जाता है। जब किसी को शासकीय खातों में राशि जमा करना होता है तो इस हेतु निर्धारित प्रपत्र की अपेक्षित संख्या में ज्ञापन अथवा चालान प्रस्तुत करना होता है। इस कार्य के लिये व्यक्ति को स्वयं या उसके अभिकर्ता को बैंक में उपस्थित होना आवश्यक होता है।

राज्य शासन द्वारा कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 64 में वर्णित वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के साथ-साथ "ई-चालान प्रक्रिया" भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत राज्य की निधियों में इंटरनेट के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेंगा । उक्त विषय में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक 331/06/वि/नि/चार, दिनांक 6.10.2006 द्वारा कोषालय संहिता भाग-1 एवं 2 में आवश्यक संशोधन किया गया है । संशोधन की प्रतिलिपि संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग "विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. गिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ्/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261

रायपुर, शनिवार, दिनांक ७ अक्टूबर २००६-आश्विन १५, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 331/वि/नि/चाU2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छनासगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा कोषालय संहिता भाग-1 एवं भाग-2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त संहिता में,—

भाग-1 में नियम 64 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"64 क वैंक में भुगतान इन्टरनेट द्वारा भी किया जा सकता है. इन्टरनेट से भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया छत्तीसगढ़ कोणालय संहिता भाग-II के परिशिष्ट 24 में अंकित किया गया है.

64 ख इन्टरनेट द्वारा राशि संग्रहण हेतुं वित्त विभाग एक या अधिक बैंकों को शाखाओं को नामनिर्दिष्ट करेगा. इन्टरनेट के माध्यम से संग्रहित राशि के प्राप्तियों के सही लेखांकन एवं राजस्व की वापसी हेतु वित्त विभाग कोबालय को नामनिर्दिष्ट करेगा.

2. भाग-॥ में परिशिष्ट 23 के पंश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :--

परिशिष्ट-24 (सहायक नियम 64, 548)

भाग-। ई-भुगतान की प्रक्रिया



1. परिचय :--

वर्तमान में कोषालय या बैंक में भुगतान नगद या चैक, बैंक पे-आईर, बैंक क्रेडिट, चालान और राष्ट्रीय यवत/प्लान सर्टिफिकंट द्वारा किया जाता है. कोई भी व्यक्ति जब शासकीय खातों में राशि डालना चाहता है तो उसे अपेक्षित मात्रा में निर्धारित प्रपत्र और अपेक्षित संख्या में जापन (अथवा चालान) प्रस्तुत करना होता है. इस कार्य के लिए व्यक्ति को स्वयं या उसके अभिकर्ता को बैंक में उपस्थित होना आवस्यक है. ई-भुगतान के प्रकरण में बैंक की किसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा.

2. प्रक्रिया ;---

- (1) जमाकर्त्ता को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शासन की नामनिर्दिष्ट वेबसाइट को लॉग ऑन करना होगा. प्राप्तियों के समस्त मदों को मृची, सभी विभागों के कर बसूली प्राधिकारी एवं विस्तृत शीर्षवार सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी, जमाकर्ता को विभाग, कर के मदों एवं विशिष्ट कर वसूली प्राधिकारी का चयन करना होगा.
- (2) जमाकर्ती को व्यक्तिगत ब्यौरा जानकारी जैसे-नाम, पता, ई-मेल का पता, अवधि, क्षेत्र विशिष्ट कर वसूली प्राधिकारी, विभागीय पंजीयन क्रमांक इत्यादि देना होगा.
- (3) उपरोक्त समस्त ब्याँरों की प्रविष्टि के पश्चात् जमाकर्तां को ई-भुगतान हेतु बाँक का चयन करेगा. जैसे हो बाँक ई-भुगतान द्वारा जमाकर्ता के भुगतान को प्राधिकृत करता है बाँक राशि को रिजर्व बाँक ऑफ इंडिया द्वारा संधारित राज्य शासन के खाते में जमा करेगा. उसके बाद जमाकर्ता के लिए कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी की वावेगी.

प्रशासकीय विभाग को (ई) प्राप्तियों की जानकारी देना :-

नामनिर्दिष्ट कोषालय अधिकारी द्वारा ई-भुगतान की प्राप्तियों की जानकारी प्रशासकीय विभाग को भेजी जावेगी. यह जानकारी भेजने के पृत्र कोषालय अधिकारी द्वारा बैंक स्कॉल से सत्यापित किया जावेगा.

भाग-11 (ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों के लेखांकन की प्रक्रिया)

ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों के लेखांकन की प्रक्रिया

- (1) ई-भुगतान के प्राप्तियों के लिये समयसीमा का निर्धारण राज्य शासन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से करेगी.
- (2) बैंक ई-भुगतान की प्राप्तियों का दैनिक स्कॉल तैयार करेगा. इस्ताक्षरित प्रति लेन-देन के दिन हो प्रतिदिन नामनिर्दिष्ट कोपालय अधिकारी को अग्रेगित की जायेगी.

टीप: —ई भुगतान के अधीन प्राप्तियों का लेखा महालेखाकार को पृथक से भेजा जाना आवश्यक नहीं है. कोपालय इसे निर्यापत लेख में समाहित

2. ई-भगतान के अधीन प्राप्तियों की वापसी :--

ई-भुगतान के अधीन प्राप्तियों की वापसी के लिये छत्तीसगढ़ कोपालय संहिता भाग-। के सहायक नियम 548 के प्रावधान लाग होंगू."

Raipur, the 6th October 2006

NOTIFICATION

No.331/বি/নি/বাব/2006.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in Chhattisgarh Treasury Code, Volume-I and Volume-II, namely ;—

AMENDMENT

In the said code,-

- 1. In volume-I, after subsidiary rule 64, the following rule shall be inserted, namely :--
 - "64-A Payment of money into the Bank can also be made through Internet. The detail procedure for payment through Internet is laid down in Appendix-24 of Chhattisgarh Treasury Code Volume-II.
 - 64-B The Finance Department shall designate the branch of one or more Banks for collection through Internet. For proper accounting and refund of revenue of receipts, collected through Internet, the finance Department shall designate the treasury."
- 2. In volume II, after appendix-23, the following appendix shall be inserted, namely :-

"Appendix-24 (Subsidiary rule 64, 548)

Part-I

The process for making E-payment

I. Introduction :--

Currently the payment of money into the treasury or the Bank is made in eash or through cheques. Bank pay order. Bank credit challan and National savings/plan certificates. Any person seeking to make payment at the treasury of Bank, into the government account shall present with it a memorandum (or challan), in prescribed fromat and in required numbers. For this purpose, the personal presence of the depositor himself or his agent is required at the Bank branch. In case of e-payment, the depositor is not required to be personally present in any bank branch.

2. The Process :--

- (1) The depositor has first to log on to the designated Website of Government of Chhattisgarh. List of all the items of receipt, the detailed head and list of all the departmental tax collecting authorities shall be available on the Website. The depositor has to select the department, items of tax and the specific tax collecting authority.
- (2) The depositor shall be required to furnish personal details like name, address, e-mail address, period, area specific tax collecting authority, departmental registration number etc.

- (3) After entering the above details, the depositor shall select the Bank for e-payment. As soon as the Bank is authorized to make e-payment by the depositor, the Bank shall credit the amount to State Government's account maintained by Reserve Bank of India. Thereafter computerised receipt to the depositor shall be issued.
- 3. The information of (e) receipts to the administrative department :-

The information regarding receipts of e-payments shall be sent to the administrative department by the designated treasury officer. Before sending, this information shall be verified by treasury officer from Bank scroll.

Part-II Accounting Procedure for receipts under e-payment

- 1. The accounting procedure for receipts for e-payment will be as follows :-
 - The time limit for receipts under e-payment shall be decided by the State government in consultation with the Reserve Bank of India.
 - (2) The Bank shall prepare daily Scroll of receipts, under e-payment. A signed copy shall be forwarded every day to the designated treasury officer, the day following the transaction.

Note: —It is not required to send separate account for receipts under e-payment to Accountant General. The treasury can include this in its regular account.

2. Refund of receipts under e-payment :-

For the refund of receipts under e-payment, the provisions of Subsidiary Rule 548 of Chhattisgarh Treasury Code Volume-I shall be applicable."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश पाण्डेय, उप-सचिव.

पृ.कमांक 359/331/वित्त/नियम/चार/2006 प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर, 06

- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
- सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
- 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
- रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता /उपमहाधिवक्ता,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर
- 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
- 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
- महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
- मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
- सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
- 10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
- 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
- 12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
- 13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
- 14. समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
- 15. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ
- 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
- 19. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
- 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
- 22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा) अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विमाग मंत्रालय, महानदी मवन, नया रायपुर

क्रमांक 111/एफ 2016-04-03313/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 4.3.2017 प्रति,

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्य मण्डल, बिलासपुर समस्त संभागीय आयुक्त समस्त विभागाध्यक्ष समस्त कलेक्टर फ्लीसगढ़

विषय:—राज्य शासन के <mark>पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल</mark> जीवन प्रमाण—पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना

संदर्भ:—वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 1186/एफ 2015—04—01752/2016/स्था./चार, दिनांक 19.10.2016

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों /परिवार पेंशनरों के लिये डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 363 में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रति संलंग्न है।

संलग्नः-यथोपरि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एस.के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विमाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

ं / /अधिसूचना / /

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च, 2017

क्रमांक : एफ 2016-04-03313/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालय नियम (छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता जिल्द एक, भाग-दो) के अंतर्गत सहायक नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त सहायक नियमों में,-

सहायक नियम 363 में, पैरा दो के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"पेंशनर/परिवार पेंशनर, जो आधार कार्ड बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन पर आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करता है, को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जायेगी"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (एस.के. चक्रवर्ती) 3) संयुक्त सचिव

पृ. क्र. 112 / एफ2016-04-03313 / वित्त / नियम / चार प्रतिलिपि:- नया रायपुर, दिनांक 4.3.2017

. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर

Government of Chhattisgarh Finance Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated 4 March, 2017

No. F 2016-04-03313/Finance/Rules/IV :: In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Subsidiary Rules under Treasury Rules, Chhattisgarh (Chhattisgarh Treasury Code Volume I, Part-II), namely:-

AMENDMENT


In the said subsidiary rules,-


In subsidiary rule 363, after para two, the following shall be added, namely:-

"Pensioner/Family pensioner, who submits online Digital Life Certificate based on Aaddar Card biometric authentication, Shall be exempted from personal appearance."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(S.K. Chakraborty









eKosh Online ekoshonline.cg.nic.in





















ePayroll ekoshonline.cg.nic.in












Budget Allocation Report

ekoshonline.cg.nic.in











Directorate of Tre	eBilling Sy asury Accounts	And Pensions,Cl	hhattiegarh
			matusgam
ser ID & Password s	ame as used i	n e-Payroll(GEN))
DDOCODE			
Password			
Financial Year	Select		•
Enter Captcha Ty	pe The Text Given	Below	
		1c50e	(
Log in			







Post Matric Scholarship Portal (ST & SC Development Department, Chhattisgarh)

Login

HELP

- Enter User Id
- A Enter Password



Enter above Captcha text here

← Forgot User Id / Password?



Department of Higher Education | Gov... education.gov.in







Department of Higher Education Ministry of Education Government of India

ABOUT US

MINISTERS DEPARTMENTS

DOCUMENTS & REPORTS INSTITUTIONS

MULTIMEDIA

DASHBOARD

STATISTICS 🔻



Academic Bank of Credits

Inaugrated by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi

on 20th July 2021

A national level facility to promote flexibility of curriculum framework and interdisciplinary or multidisciplinary academic mobility of students of Higher Education Institutions in the country with appropriate credit transfer mechanism.

Department of Higher Education

The Department of Higher Education, MoE, is responsible for the overall development of the basic infrastructure of Higher Education sector, both in terms of policy and planning. Under a planned development process, the Department looks after expansion of access and qualitative improvement in the Higher Education, through world class Universities, Colleges and other Institutions. more.






















SCHEMES

University and Higher Education

- ► Rashtriya Ucchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)
- ► National Research Professorship (NRP)

▶ Higher Education Statistics and Public Information System (HESPIS) ₪

Technical Education

- Sub-Mission on Polytechnics under the Coordinated Action for Skill Development
- Scheme of Apprenticeship Training

Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching


- ▶ Scheme Guidelinesi®
- ► Constitution of PAB®

E-CONTENT













सामान्य सूचना

- > ई-पीपीओ
- > पेंशन की श्रेणी
- > सेवानिवृत्ति लाभ
- > पेंशन नियम
- > पेंशन प्रक्रिया मानचित्र
- > पेंशन हेतु अधिकृत बैंको की सूची
- संगठन संरचना

परिपत्र / प्रपत्र

- > बजट नीति
- पेंशन संबंधित परिपत्र
- > राहत दर
- > पेंशन प्रपत्र
- पेंशन कल्याण योजना

HINDI ENGLISH : X









Accountant General, Chhattisgarh





Please login with DDOCODE as login and the password specified for DDO LOGIN of e-Payroll for GPF type in following link: e-payroll

Site Visits: 2497083

Disclaimer: This is the Official Web Portal of Accountants General, Chhatisgarh. The portal is developed and hosted by National Informatics Centre. Accountants General, Chhattisgarh is the owner of the portal. Any queries may be sent to ag36g.cag.gov.in. Data displayed on this website is only informatory and this cannot be used for any claims before Office of the Accountants General, Chhattisgarh, State Government of Chhattisgarh, Government of India and Courts of Law.

E-GOVERNACE IN THE ARE STUDENT ADMISSION & SUPPORT-2017-2018



🗙 🔒 Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya ...

bilaspuruniversity.ac.in

_	
0	
0	

:

	Description	Website Link	/Video Tutorial	
	UTD ONLINE FEE.			
۰Ĉ۰	ONLINE ADMISSION			
	ONLINE EXAM FORM / SUPPLEMENTARY EXAM FORM / ENROLLEMENT FORM			
	ONLINE FORM FOR MIGRATION CERTIFICATE / PROVISIONAL DEGREE / DUPLICATE MARKSHEET			
*	ONLINE FORM FOR REVAL/RETOTALLING			
8	ONLINE ADMIT CARD			
	ONLINE RESULT			
	EXAM WISE INTAKE CAPACITY			



E - GOVERNACE IN THE ARE EXAMINATION- 2019-2020






Question Papers of Atal Bihari Vajpay... resulthour.com



:







Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya ... bilaspuruniversity.ac.in



:

MENU				
camination Results				
Results				
Exam Name	Date	Notification	Result	Revaluation/Retotallin
LL.B. PART ONE (II SEM.) (OLD COURSE)	14 Dec 2021	View Notification	Result	
LL.B. PART ONE (II SEM.) (NEW COURSE) MASTER OF EDUCATION (SEM IV) MASTER OF EDUCATION (SEM II)	14 Dec 2021	View Notification	Result	
B.COM. ILLB. FOURTH SEMESTER (NEW COURSE) B.COM. ILLB. SIXTH SEMESTER (NEW COURSE) B.A. LLB. (X SEM.) B.COM. LLB. SECOND SEMESTER (NEW COURSE) B.A. LLB. (VI SEM.) B.A. LLB. (VI SEM.) B.A. LLB. (W SEM.) B.A. LLB. (W SEM.) LLB. PART TWO (II SEM.) LLB. PART THREE (II SEM.) LLB. PART THREE (II SEM.) LLB. PART THREE (II SEM.)	10 Dec 2021	View Notification	Result	
KG COLLEGE RAIGARH: M.A. PSYCHOLOGY SEMESTER-IV M.A. SOCIOLOGY SEMESTER-IV	24 Nov 2021	View Notification	Result	
KG COLLEGE RAIGARH: B.A. SEMESTER-IV B.C.A. SEMESTER-IV M.A. GEOGRAPHY SEMESTER-IV B.S.C. (BIO) SEMESTER-IV M.A. PLITICAL SCIENCE SEMESTER-IV M.A. POLITICAL SCIENCE SEMESTER-IV M.S.C. MATHEMATICS SEMESTER-IV M.S.C. CHEMISTRY SEMESTER-II M.S.C. CHEMISTRY SEMESTER-II	24 Nov 2021	View Notification	Result	
SUPPLEMENTARY EXAM RESULT : B. A. (PART-II,PART-III) AND B. A. (PART-I) PVT	24 Nov 2021	View Notification	Result	
SUPPLEMENTARY EXAM RESULT : B. SC.(PART-I,PART-II,PART-III) AND BCA PART I AND II	22 Nov 2021	View Notification	Result	
SUPPLEMENTARY EXAM RESULT: B.COM PART-I, B.COM PART-II, B.COM PART-III	22 Nov 2021	View Notification	Result	
KG COLLEGE RAIGARH : M.A. POLITICAL SCIENCE SEMESTER-III M.SC. BOTANY SEMESTER-II	22 Nov 2021	View Notification	Result	
KG COLLEGE RAIGARH: B.A. SEMESTER-II B.SC. (MATHS) SEMESTER-II B.SC. (BIO) SEMESTER-II M.A. ECONOMICS SEMESTER-IV B.SC. (MATHS) SEMESTER-IV M.A. SANSKRIT SEMESTER-IV M.A. SINDEMISTRY SEMESTER-IV M.SC. CHEMISTRY SEMESTER-IV M.SC. BOTANY SEMESTER-IV M.SC. BOTANY SEMESTER-IV M.SC. PHYSICS SEMESTER-II M.SC. ZOOLOGY SEMESTER-II M.SC. ZOOLOGY SEMESTER-IV	18 Nov 2021	View Notification	Result	
B.SC. (HONS) COMPUTER SCIENCE -SEMESTER II B.SC. (HONS) COMPUTER SCIENCE -SEMESTER IV	15 Nov 2021	View Notification	Result	
B.COM (HONS) - SEMESTER IV	15 Nov 2021	View Notification	Result	
M.A. PSYCHOLOGY (FOURTH SEMESTER) M.SC. ZOOLOGY (FOURTH SEMESTER)	12 Nov 2021	View Notification	Result	
M.S.W. (FOURTH SEMESTER) M.S.W. (SECOND SEMESTER) M.A. ENGLISH (FOURTH SEMESTER) M.A. ENGLISH (SECOND SEMESTER)	11 Nov 2021	View Notification	Result	
M.A. ECONOMICS (SECOND SEMESTER) M.SC. BOTANY (FOURTH SEMESTER) M.A. ECONOMICS (FOURTH SEMESTER) M.SC. MICROBIOLOGY (FOURTH SEMESTER) M.SC. ZOOLOGY (SECOND SEMESTER)	03 Nov 2021	View Notification	Result	
M.A. POLITICAL SCIENCE (SECOND SEMESTER) M.A. POLITICAL SCIENCE (FOURTH SEMESTER) M.A. M.A.SC. MATHEMATICS (FOURTH SEMESTER) M.SC. COMPUTER SCIENCE (SECOND SEMESTER) M.SC. PHYSICS (FOURTH SEMESTER) M.SC. PHYSICS (FOURTH SEMESTER) M.SC. GEOLOGY (SECOND SEMESTER) M.SC. GOMPUTER SCIENCE (FOURTH SEMESTER) M.A. EDUCATION (SECOND SEMESTER) M.A. EDUCATION (SECOND SEMESTER) M.SC. GEOLOGY (FOURTH SEMESTER)	01 Nov 2021	View Notification	Result	

 \triangleleft



Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya ... bilaspuruniversity.ac.in




	Description	Website Link	Instructions /Video Tutorial	
	UTD ONLINE FEE.			
Ů.	ONLINE ADMISSION			
	ONLINE EXAM FORM / SUPPLEMENTARY EXAM FORM / ENROLLEMENT FORM			
	ONLINE FORM FOR MIGRATION CERTIFICATE / PROVISIONAL DEGREE / DUPLICATE MARKSHEET			
*	ONLINE FORM FOR REVAL/RETOTALLING			
0	ONLINE ADMIT CARD			
	ONLINE RESULT			
	EXAM WISE INTAKE CAPACITY			



Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya ... bilaspuruniversity.ac.in









Copyright @ 2012

Contacts ☆ Gandhi Chowk Bilaspur (a)Telephone: 07752-220007, 07752-220031 Fax: 07752-230077 Email: registrar@bilaspuruniversity.ac.in

Designed and Maintained by : Vikas Sharma

Quick links

College Notifications
Affiliated Colleges
Syllatrus
Gallery
Time Table
Results
Form Download





(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012) पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन : 07752—220031,220032,220033 फैक्स 07752—260294

येबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : bilaspur.university2012@gmail.com

क्र 9.5.1/परीक्षा/2017

विसासपुर, दिनांक 18/01/2017

//परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश//

बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2016–17 की मुख्य परीक्षा–2017 हेतु परीक्षार्थियों से आनलाईन परीक्षा आवेदन मंगाये जा रहे हैं। परीक्षा आवेदन <mark>आनलाईन भरने में हो रही समस्याओं</mark> को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के हित में निम्नलिखित आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

- 1) ऑनलाईन परीक्षा आयेदन में किसी भी प्रकार के तृटि सुधार/परीक्षा केंद्र परिवर्तन/संकाय परिवर्तन आदि के लिये विश्वविद्यालय में आवेदन करते समय अपने पूर्व वर्ष की परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करे। साथ ही अपने लिखित आवेदन में अपना नाम, कक्षा, विषय, रोल नंबर, नामॉकन नंबर, मोबाईल नंबर एवं यदि ऑनलाईन आवेदन कर चुके है तो टिकट आई डी/चालान आई डी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
- 2) गेप/अंतराल के कारण ऑनलाईन परीक्षा आवेदन नहीं कर पाने वाले परीक्षार्थी गेप प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं पूर्व परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करे जिसमें वर्तमान सत्र में जिस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से सम्मिलित होना चाहते हैं, उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य से अनुमित प्राप्त कर अपना आवेदन उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से विश्वविद्यालय को अग्रेषित करा लेवे तथा अग्रेषित आवेदन के साथ पूर्व वर्ष की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विमाग में कार्यालयीन समयाविध में आवेदन प्रस्तुत करें।
- 3) संकाय परिवर्तन जिस परीक्षार्थी ने पूर्व वर्ष में जिस संकाय की परीक्षा में सिम्मिलित हुये थे और परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/पूरक रहा और वर्तमान परीक्षा सत्र में किसी अन्य संकाय/कक्षा/विषय की परीक्षा में सिम्मिलित होना चाहते है तो वर्तमान सत्र में जिस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से सिम्मिलित होना चाहते है, उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य से अनुमित प्राप्त करने के संबंध में एक लिखित आवेदन कर अपना आवेदन उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से विश्वविद्यालय को अग्रेषित करा लेवे तथा अग्रेषित आवेदन के साथ पूर्व वर्ष की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कार्यालयीन समयाविध में आवेदन प्रस्तुत करें।
- 4) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन त्रुटि सुधार जिस परीक्षार्थी ने विश्वविद्यालय में प्रथम बार नामॉकन कराया है, यदि उनके नामॉकन में परीक्षार्थी के नाम/माता/पिता/पित के नाम में त्रुटि हो तो त्रुटि सुधार हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन करने से पूर्व जिस कक्षा/विषय के लिये नामॉकन कराया गया है केवल उसी कक्षा/विषय के लिये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन निर्धारित समयाविध में करे। तत्पश्चात् वांछित त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाईन परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती संलग्न कर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कार्यालयीन समयाविध में आवेदन प्रस्तुत करें।
- 5) विषय जोड़ना/हटाना/सुधार करना जिस परीक्षार्थी ने संबंधित कक्षा/विषय के लिये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करते समय गलस विषय/कोड का चयन किया है अथवा किसी अतिरिक्त विषय/कोड का चयन कर लिया है अथवा निर्धारित विषय/कोड का चयन नही किया है, तो वांछित त्रुटि सुधार हेतु एक लिखित आवेदन विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में करते हुए ऑनलाईन परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती संलग्न कर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कार्यालयीन समयाविध में आवेदन प्रस्तुत करें।

, F

क्रमशः पृष्ठ ०२....पर



(Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012) पुराना हाईकोर्ट भयन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन : 07752—220031,220032,220033 फैक्स 07752—260294

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : bilaspur.university2012@gmail.com

क्र 1000/परीक्षा/2017

बिलासपुर, दिनांक 01/02/2017

//छात्र हित में प्रेस विज्ञप्ति//

बिलासपुर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2017 में स्नातक प्रथम वर्ष (बी.ए./बी. एस.सी./बी.कॉम/बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.एस.सी. गृह विज्ञान) की परीक्षा में सिम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने की अंतिम तिथि 02.02.2017 दिन—गुरुवार है। स्नातक प्रथम वर्ष के जिन छात्र/छात्राओं ने अभी तक ऑनलाईन परीक्षा आवेदन नहीं किये है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अनिवार्यतः ऑनलाईन परीक्षा आवेदन कर लेवें।

निर्धारित अंतिम तिथि के बाद परीक्षा आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि/समय में वृद्धि नहीं की जावेगी। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए बिलासपुर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in अथवा http://www.bucgexam.in/default.php पर जायें। ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना नामांकन कमांक एवं रोल नम्बर विश्वविद्यालय की वेबसाईट से अथवा http://bu.resulthour.com पर जाकर Get Your Roll No and Enrolment No सेक्शन में अपना नाम (अंग्रेजी में)/नामांकन ओ.एम.आर. कमांक/मोबाईल नंबर डालकर प्राप्त कर सकते हैं।

आदेशानुसार किट्टिट्टें। सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) बिलासपुर, दिनांक 01/02/2017

पृ. क्र**1.00.1/** परीक्षा / 2017 प्रतिलिपिः–

माननीय कुलपति / कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।

 प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ कि छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन करने के लिए सूचित करने हेतु इस विज्ञाप्ति को अपने महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करावे।

3. संपादक / संवाददाता, दैनिक.....समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि छात्रहित में इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

website: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 3 276/ परीक्षा-गोपनीय / 2020 प्रति

दिनांक 29 / 02 / 2020

प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- प्रायोगिक एवं आंतरिक अंक आनलाईन पोर्टल में दर्ज करने की तिथि में वृद्धि किये जाने वाबत्।

विषयांतर्गत अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में रनातक/रनातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 01.02.2020 से 29.02.2020 तक सम्पन्न कराकर प्रायोगिक एवं आंतरिक अंक आनलाईन दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होने के पश्चात् भी कई महाविद्यालयों द्वारा अभी तक आनलाईन पोर्टल में प्रायोगिक एवं आंतरिक अंक दर्ज नहीं कर पाये हैं तथा दूरभाष एवं पत्राचार द्वारा प्रायोगिक एवं आंतरिक अंक दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः महाविद्यालयों के मांग/निवेदन को ध्यान में रखते हुए आनलाईन पोर्टल पर प्रायोगिक एवं आंतरिक अंक दर्ज करने हेतु दिनांक 15.03.2020 तक वृद्धि की जाती है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि तक प्रायोगिक एवं आंतरिक के अंक अनिवार्यतः आनलाईन दर्ज करें उक्त तिथि के बाद के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/शिक्षक जिम्मेदार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलारापुर (छ.ग.)

5.7



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH) website: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / परीक्षा-गोपनीय / 2020 प्रति,

दिनोंक 10/ 8 / 2020

प्राचार्य,

समस्त संबद्ध महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

छात्र-छात्राओं हेतु ऑनलाईन परीक्षा संबंधी तथा अन्य सहायता हेतु हेल्पडेस्क बनाये जाने

उपरोक्त विषयांतर्गत् संबद्ध समस्त महाविद्यालयों को शासन के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि विश्वव्यापी महामारी नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के चलते छात्र-छात्राओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए शासन स्तर पर यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक हेल्पडेस्क बनाया जाये जहां एक कर्मचारी नियमित तौर पर उपस्थित रहें साथ ही किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान हेतु एक व्हाट्सप नं. उपलब्ध करायें जिससे छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन परीक्षा संबंधी तथा अन्य सहायता तत्काल प्राप्त हो सके। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराये।

> भादेशानुसार भाकदर्भ 1018120 अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) दिनांक 1.0. 8. 20 21

पृ क्रमांक / 35 7/2 प्रशिक्षा-गोपनीय / 2020

माननीय कुलपति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कुलसचिव महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित। 3. संपादक, दैनिक.....समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि छात्रहित में इसे

विज्ञप्ति के रूप में को अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट/करें।

आनलाईन परीक्षा शुल्क भुगतान की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपने वैंक स्टेटमेन्ट / पासबुक में हुए भुगतान वाले पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न कर लिखित अभ्यावेदन विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में प्रस्तुत करना होगा।

05. अन्य किसी भी तरह की समस्या/परेशानी होने पर निम्नलिखित ई-मेल आई.डी. पर अपनी समस्या को हिंदी/अंग्रेजी भाषा में अपना नाम, माता/पिता का नाम,, कक्षा / परीक्षा का नाम, पिछली परीक्षा का अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, खंय का मोबाईल नं. एवं टिकट आई.डी. का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रेषित करें-परीक्षा नियंत्रक (डॉ. पी.के. पाण्डेय) ई—मेल आई.डी.— pravinpandev101@gmail.com

दूरभाष क्रमांक 07752-220033

सहायक कुलसचिव (सी.एल. टंडन) ई-मेल आई.डी.- <u>chitandon.ar.bu@gmail.com</u> दूरभाष क्रमांक 07752-220032

टीप:- कृपया स्वयं की ई-मेल आई.डी. का उपयोग करें ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह का जवाब / उत्तर दिये जाने पर आप तत्काल अवगत हो सके।

> विलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्. क्रमांक571.../परीक्षा/2016 प्रतिलिपि:-

बिलासपुर दिनांक 26/12/2016

1. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ। 2. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं इस आवश्यक सूचना की एक प्रति महाविद्यालय सूचना पटल पर छात्र छात्राओं के अवलोकनार्थ चस्पा

 सहायक कुलसचिव (गोपनीय/भण्डार), बिलासपुर वि.वि. बिलासपुर को सूचनार्थ। अनुभाग अधिकारी / कक्ष अधीक्षक / कक्ष प्रभारी (गोपनीय / परीक्षा / भंडार) विलासपुर वि.वि.

बिलासपुर को सूचनार्थ। 5. संपादक/संवाददाता, दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि छात्रहित में इसे अपने समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने

विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

7. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)



(Established by Chhaltisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012) पुराना हाईकोर्ट भयन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन : 07752—220031,220032,220033 फैक्स 07752—260294

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-भेल : bilaspur.university2012@gmail.com

क्र.5.7.0/परीक्षा/2016

बिलासपुर, दिनांक 26/12/2016

/ / सूचना / /

विषयार्न्तगत शैक्षणिक सत्र 2016–17 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को आनलाईन परीक्षा आवेदन करने में हो रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लेते हुए दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:--

- 01. मुख्य परीक्षा वर्ष 2016—17 हेतु नियमित/स्वाध्यायी/पूरक परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट में जाकर पेमेंन्ट हेतु परीक्षा फीस जमा करने हेतु एसबीआई. कलेक्ट के द्वारा पेमेन्ट कर रहे हैं ऐसे समस्त छात्र आवेदन पत्र प्रिंट/पावती एवं घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए 48 घंटे के बाद पुनः प्रयास करें। यदि 48 घंटे पश्चात भी आनलाईन परीक्षा आवेदन का प्रिंट/पावती प्राप्त नहीं होता है तो अगले पृष्ठ में दिये गये ई-मेल पर या विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते है।
- 02. दिव्यांग अभ्यर्थी / परीक्षार्थी संबंधित कक्षा / परीक्षा के निर्धारित परीक्षा शुल्क आनलाईन जमा करें। संबंधित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क वापसी हेतु लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अपना पहचान पत्र तथा स्वयं वैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति एवं आनलाईन परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती अथवा आनलाईन परीक्षा शुल्क भुगतान की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपने वैंक स्टेटमेन्ट / पासबुक में हुए भुगतान वाले पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न कर जमा करें। तत्पश्चात् शुल्क की राशि वापस संबंधित परीक्षार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिया जावेगा।
- 03. यदि कोई नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व/पूरक परीक्षार्थी पिछली परीक्षा जिस परीक्षा केन्द्र से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुए है और इस सत्र में किसी अन्य परीक्षा केन्द्र में सिमालित होकर परीक्षा देना चाहते हैं तो संबंधित परीक्षा केन्द्र (जहां इस वर्ष की परीक्षा में सिमालित होना है) के प्राचार्य के समक्ष अनुमित हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत करें एवं अपने आवेदन को प्राचार्य से अग्रेषित करा कर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में तत्काल जमा करें।
- 04. यदि किसी नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्त परीक्षार्थी के द्वारा आनलाईन परीक्षा आवेदन करते समय एक से अधिक बार पेमेन्ट हो जाता है/करते हैं तो ऐसे परीक्षार्थी के अंतिम (नवीनतम) आवेदन ही मान्य किये जायेंगे एवं शेष आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा निरस्त किये गये आवेदन/आवेदनों के शुल्क वापसी हेतु परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय में अपने पहचान पत्र तथा स्वयं वैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति एवं

BILASPUR UNIVERSITY, BILASPUR (C.G.)



Old High Court Building, Bilaspur, Pin-495001 07752-220032 Fax- 07752-260294

Email - bilaspur.university2012@gmail.com Website: www.bilaspuruniversity.ac.in

कमांक 528 /परीक्षा / 2016

बिलासपुर, दिनांक [4] 22016

प्रति.

प्राचार्य समस्त संबंद्ध अग्रणी महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)। विषय:— ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फार्म के संबंध में। महोदय,

विषयानुसार सूचित हों मुख्य परीक्षा सत्र 2016-17 हेतु ऑनलाइन परीक्षा फार्म दिनांक 16/12/16 से भरवाना जाना है। इस हेतु विश्वविद्यालय से एक कम्पयूटर ऑपरेटर द्वारा आपके महाविद्यालय में दिनांक 16/12/16 को उपस्थित होकर ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

कृपया उक्त के संबंध में अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें जिससे ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया से अवगत हो सकें। साथ ही अपेक्षा की जाती है कि आप अपने क्षेत्राधिकार शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयीन कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तािक वह भी उक्त तिथि में उपस्थित होकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया से अवगत हो सके।

कृपया प्राथमिकता देवें।

आदेशानुसार

बिलासपुर दिनांक । भू / 12 / 2014

1. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, को माननीय कुलपति / कुलसचिव जी को उनके सूचनार्थ।

2. कार्यालय प्रति

आदेशानुसार

परीक्षा निर्मालक



पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन : 07752—220031,220032,220033 फैक्स 07752—260294

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक /2170/परीक्षा / 2017

दिनांक 03.10.2017

—ःप्रेस विज्ञप्तिः-

सत्र 2017—18 में बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यकमों में नवप्रविशित एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय की मुख्य/सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रथम बार सम्मिलित होने वाले नियमित छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन नामांकन (Online Enrollment) दिनांक 06.09.2017 से प्रारंभ किया गया है। ऑनलाईन नामांकन की अंतिम तिथि बिना बिलंब शुल्क के दिनांक 05.10.2017 तक एवं विलंब शुल्क के साथ दिनांक 06.10.2017 से दिनांक 15.10.2017 तक निर्धारित है। अतः समस्त नियमित छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शीघ्र—अतिशीघ्र उपरोक्तानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक नामांकन अनिवार्यतः करा लेवें। विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।

नोट—जो परीक्षार्थी विगत वर्षो में बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यकमों की परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके है एवं नामांकन करा चुके है तथा विश्वविद्यालय से प्रवजन प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं किये है, उन्हें पुनः नामांकन (Enrollment) कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

आदेशानुस्रा

पृ. क्रमांक /३ (७१ / परीक्षा / २०१७ प्रतिलिपि :—

दिनांक 03.10.2017

- 1. माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
- 2. परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- 3. प्राचार्य, संबंधित शिक्षा एवं विधि महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। कृपया समय—सारणी की एक प्रति महाविद्यालय सूचना पटल पर छात्र/छात्राओं के अवलोकनार्थ चस्पा करावें।
- 4. संपादक / संवाददाता, दैनिक.....समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि छात्रहित में इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

नहायक कुल्सचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय,



पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-220031,220032,220033 फैक्स 07752-260294 वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक /2170/परीक्षा/2017

दिनांक 03.10.2017

—ःप्रेस विज्ञप्तिः:—

सत्र 2017—18 में बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में रनातक / रनातकोत्तर / डिप्लोमा पाठ्यकमों में नवप्रवेशित एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय की मुख्य/सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रथम बार सिमालित होने वाले नियमित छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन नामांकन (Online Enrollment) दिनांक 06.09.2017 से प्रारंभ किया गया है। <mark>ऑनलाईन नामांकन की अंतिम तिथि बिना बिलंब शुल्क के दिनांक 05.10.2017 तक</mark> एवं विलंब शुल्क के साथ दिनांक 06.10.2017 से दिनांक 15.10.2017 तक निर्धारित है। अतः समस्त नियमित छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शीघ्र–अतिशीघ्र उपरोक्तानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक नामांकन अनिवार्यतः करा लेवें। विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।

नोट—जो परीक्षार्थी विगत वर्षो में बिलासपुर विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यकमों की परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके है एवं नामांकन करा चुके है तथा विश्वविद्यालय से प्रवजन प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं किये है, उन्हें पुनः नामांकन (Enrollment) कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

> सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय. बिलासपुर (छ.ग.)

प्. क्रमांक /**३।७1** / परीक्षा / 2017 प्रतिलिपि :-

दिनांक 03.10.2017

- 1. माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
- 2. परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- 3. प्राचार्य, संबंधित शिक्षा एवं विधि महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। कृपया समय-सारणी की एक प्रति महाविद्यालय सूचना पटल पर छात्र/छात्राओं के अवलोकनार्थ चस्पा करावें।
- 4. संपादक / संवाददाता, दैनिक.....समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि छात्रहित में इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक कुल्सचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH) (Established by Chhattisgarh Legislative Assembly Act No. 07 of 2012) पुराना हार्डकोर्ट भयन, गांधी चौक के पास, विलासपुर (इ.ग.) 495001 फोन : 07752-220031,220032,220033 फैक्स 07752-260294

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्र.2028 परीक्षा / 2017

बिलासपुर, दिनांक 05/09/2017

—::अधिसूचनाः:—

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में बिलासपुर विश्वविद्यालय, विलासपुर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में नवप्रवेशित नियमित छात्र—छात्राओं एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम बार सम्मिलित होने वाल नियमित परीक्षार्थियों का ऑनलाईन नामांकन (Enrollement) दिनांक 06/09/2017 से प्रारंभ किया जा रहा है। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन नामांकन कराया जायेगा, उन्हीं छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करने की अनुमति दी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा-2018 एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु परीक्षा आवेदन ऑनलाईन ०१ नवंबर २०१७ से आमंत्रित किया जायेगा।

क्र.	नामांकन विवरण	तिथि	
01	नामांकन ऑनलाईन प्रारंभ होने की तिथि	06/09/2017 से 00:01 AM से	
02	नामांकन ऑनलाईन कराने की अंतिम तिथि	05/10/2017 तक 11:59 PM तक	
03	नामांकन ऑनलाईन कराने की अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित)	15/10/2017 11:59 PM तक	

क्र.	शूल्क विवरण	राशि
	नामांकन शुल्क (सामान्य)	300/-
02	नामांकन विलंब शुल्क (नामांकन शुल्क सामान्य के अतिरिक्त)	500/-

ऑनलाईन नामांकन आवेदन करने हेतु दिशानिर्देश पृथक से जारी किया जायेगा। नामांकन आवेदनों के अग्रेषण हेतु नामांकन शुल्क के अतिरिक्त अग्रेषण शुल्क पृथक से महाविद्यालय/शिक्षण विमाग द्वारा नहीं लिया जाये। नामांकन आवेदन के अग्रेषण से पूर्व संस्था प्रमुख/प्राचार्य/प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि संबंधित छात्र/छात्रा संबंधित कक्षा/परीक्षा में सम्मिलि होने की समस्त न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करता है। नामांकन के संबंध में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित छात्र/छात्रा एवं अग्रेषणकर्ता अधिकारी की होगी। उपरोक्तानुसार ऑनलाईन नामांकन हेतु निर्धारित तिथि में वृद्धि नहीं की जायेगी।

आदेशानुसार

बिलासपुर, दिनांक 05/09/2017

पृ. क्र 2029 परीक्षा / 2017

01. माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

02. परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। 03. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय को सूचनार्थ। इस अधिसूचना को महाविद्यालय के

सूचना पटल पर छात्र-छात्राओं के अवलोकनार्थ चस्पा करावे।

04. समस्त विभागाध्यक्ष, विलासपुर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को सूचनार्थ। इस अधिसूचना को अपने

विभाग के सूचना पटल पर छात्र-छात्राओं के अवलोकनार्थ चस्पा करावें। 05. सहायक कुलसचिव, (गोपनीय/अकादमी/वित्त) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

06. कक्ष प्रभारी, परीक्षा/गोपनीय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

07. डाटा एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग सेंटर को सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

पू ज.952/परीका/2017 प्रतितिषि:-

बिलासपुर, दिनांक 18/01/2017

माननीय कुलपित्र कुलसिव जी के सादर अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

2. परीक्षा नियंत्रक, विलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ। 3. प्राचार्य, समस्त संबंद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस सूचना को महाविद्यालय के सूचना पटल पर छात्रों के अवलोकन

4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (भण्डार/गोपनीय), बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूधनार्थ।

कक्ष प्रभारी (गोपनीय/परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

7. संपादक/संवाददाता, दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि छात्रहित में इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

9. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलंसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

- 6) परीक्षा केन्द्र परिवर्तन विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2017 में परीक्षार्थी यदि अपने पूर्व परीक्षा केंद्र में परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो पहले अपने पूर्व वर्ष की परीक्षा के रोल नंबर एवं नामॉकन क्रमांक के अनुसार संबंधित कक्षा/विषय के लिये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन निर्धारित समयाविध में कर लेवे। तत्पश्चात् वर्तमान सन्न की परीक्षा जिस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से सिमालित होना चाहते हैं, उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य से परीक्षा केंद्र में परिवर्तन करने एवं अनुमित प्राप्त करने के संबंध में एक लिखित आवेदन कर अपना आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित करा लेवे तथा अग्रेषित आवेदन के साथ ऑनलाईन परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क भुगतान की पावती सलग्न कर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कार्यालयीन समयाविध में आवेदन प्रस्तुत करें।
- 7) बिलासपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 2016 की परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/पूरक परीक्षार्थी जिनका इस विश्वविद्यालय में पहले नामांकन हो चुका है और वर्तमान सत्र में किसी अन्य कक्षा/विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है लेकिन ऑनलाईन परीक्षा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परीक्षार्थी अपनी पूर्व परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करें और वर्तमान सत्र में जिस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से सम्मिलित होना चाहते है, उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य से अनुमित प्राप्त कर अपना आवेदन उस महाविद्यालय/परीक्षा केंद्र से विश्वविद्यालय को अग्रेषित करा लेवे तथा अग्रेषित आवेदन के साथ पूर्व वर्ष की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कार्यालयीन समयाविध में आवेदन प्रस्तुत करें।
- 8) यदि किसी परीक्षार्थी का ऑनलाईन परीक्षा आवेदन एवं शुल्क भुगतान की पायती प्राप्त नहीं हो रही है, तो पावती के लिये 48 घंटो के पश्चात् पुनः कोशिश करें। यदि 2 या 3 दिनों के पश्चात भी आपको पावती प्राप्त नहीं होती है तो पुनः परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करें एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज अनिवार्यतः संलग्न करें। पूर्व में किए गये भुगतान की वापसी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रपत्र/प्रारूप में जानकारी भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विश्वविद्यालय में जमा करें।
- 9) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर की मुख्य परीक्षा 2016—17 में प्रथम बार सम्मिलित होने वाले नियमित / स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रोल नंबर एवं नामांकन क्रमांक विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.bilaspuruniversity.ac.in में एवं http://bu.resulthour.com अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी आनलाईन परीक्षा आवेदन करने से पूर्व जमा किये गये अपने नामांकन ओ.एम.आर. फार्म में दिये गये जानकारी के अनुसार http://bu.resulthour.com वेब लिंक में जाकर अपने नाम (अंग्रेजी में Capital letter में) अथवा नांमांकन ओ.एम.आर. क्रमांक अथवा मोबाईल नंबर डालकर अपना अनुक्रमांक एवं नामांकन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं।
- 10) जिस परीक्षार्थी ने नामांकन ओ.एम.आर फार्म भरकर महाविद्यालय में जमा किए है लेकिन विश्वविद्यालय वेबसाईट से अद्यतन अपना नामांकन/रोल नंबर प्राप्त नहीं कर पाये है, ऐसे परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय में संपर्क करें एवं महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रेषित किए गये नामांकन ओ.एम.आर फार्म की सूची (जिसमें आपका नाम/नामांकन ओ.एम.आर. क्रमांक अंकित हो) वाले पृष्ट की छायाप्रति महाविद्यालय से प्रमाणित कराकर एवं कक्षा 12वी की अंकसूची स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कार्यालयीन समयाविध में उपस्थित होवें एवं आवेदन प्रस्तुत करें।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमशः पृष्ठ ०३.....पर